दिनांक 2 जुलाई 2019

स्वच्छ भारत अभियान
स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

पेंशन योजनाओं के प्रकरणों के स्वीकृति हेतु एवं कार्य में सरलीकरण किए जाने आयुक्त ने अपनी शक्तियां जोन आयुक्तों को की प्रत्यायोजित

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एस.के. सुंदरानी ने पेंशन से संबंधित विभिन्न योजनाओं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन , इंदिरा गांधी विधवा पेंशन , इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन , सुखद सहारा पेंशन , मुख्यमंत्री पेंशन एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता पेंशन योजनाओं के प्रकरणों की स्वीकृति हेतु सर्व जोन आयुक्त को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) का उपयोग करते हुए आयुक्त की शक्तियां प्रत्यायोजित करने का आदेश जारी कर दिया है! इसके अतिरिक्त जोन आयुक्त को एक पत्र भी जारी किया है जिसमें पेंशन स्वीकृति संबंधी मार्गदर्शिका का पालन करने के लिए निर्देशित किया है इस निर्देश में पेंशन स्वीकृति संबंधी मार्गदर्शिका अनुसार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना अंतर्गत नए प्रकरणों का क्रियान्वयन करने के लिए वर्ष 2007-2008 के बीपीएल सर्वेक्षण सूची में नाम वाले परिवार के हितग्राहियों को ही सभी 6 राष्ट्रीय योजना का लाभ दिया जाना है! आवेदक को निर्धारित आवेदन प्रपत्र में शासन के नियमानुसार आवेदन प्राप्त कर लोक सेवा केंद्र से ऑनलाइन करवाना होगा! मुख्यमंत्री पेंशन योजना अंतर्गत 2011 का जनगणना सूची D1, D2, D6 एवं D7 के अनुसार निवासरत परिवार का पेंशन स्वीकृत किए जाने हेतु आवेदन प्राप्त किया जाना है! प्राप्त आवेदन पर शासन के दिशा निर्देश अनुसार कार्यालयीन अधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे आवेदन पात्रता की श्रेणी में आता है कि नहीं स्पष्ट अभिमत भी देंगे!

जोन आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात प्रकरणों पर पेंशन स्वीकृति क्रमांक , पंजीयन क्रमांक निर्धारित प्रारूप में ही जारी किया जावेगा जिससे एकरूपता बनी रहेगी! जोन आयुक्त स्वीकृति पश्चात स्वीकृत हितग्राहियों की सूची उपसंचालक समाज कल्याण दुर्ग को प्रेषित कर एक प्रति मुख्य कार्यालय पेंशन शाखा को भी प्रेषित करने की व्यवस्था करेंगे! ऑनलाइन एंट्री करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे जिस योजना के अंतर्गत प्रकरण स्वीकृत किया गया है उसी योजना के अंतर्गत उसका ऑनलाइन एंट्री भी किया जावे!

श्री सुंदरानी ने जोन आयुक्तों को यह भी निर्देशित किया है कि कोई भी पात्र हितग्राही न छूटे, पात्रता की श्रेणी में आने वाले समस्त हितग्राहियों को इसका लाभ मिलना चाहिए! केंद्रीय योजना के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन की पात्रता शर्तें 60 से 79 वर्ष, इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन के लिए 80 वर्ष या अधिक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के लिए 40 से 79 वर्ष, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन के लिए 18 से 79 वर्ष, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए मृतक परिवार का मुखिया/कमाऊ सदस्य जिसके लिए 18 से 59 वर्ष तथा राज्य योजनाओं के तहत आने वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन 6 से 17 वर्ष 40% दिव्यांग एवं 18 या अधिक, सुखद सहारा योजना 18 से 39

वर्ष की विधवा एवं 18 से 59 वर्ष की परित्यक्ता को इसके अनुसार योजना का लाभ मिलेगा ! जिसका पालन समस्त जोन क्षेत्रों के अधिकारियों को करना होगा! इसके अतिरिक्त समस्त जोन क्षेत्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया है , जिसमें पेंशन से संबंधित कार्य के लिए अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे जिनसे संपर्क कर सकते हैं तथा जोन कार्यालयों में लगे शिविर से प्राप्त आवेदनों का जांच एवं परीक्षण कर एनएसएपी में डाटा एंट्री का कार्य भी पूर्ण करेंगे!

जनसम्पर्क अधिकारी

जल है तो कल है जल ही जीवन है!